न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

1. अपील/डिक्री/टीए/2070/2005/भरतपुर

1— बादाम सिंह
2— मदनलाल
पुत्रान लालाराम जाति माली निवासी ग्राम श्रीनगर तह0 व जिला भरतपुर।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1— मूर्ति श्रीनाथ जी महाराज वाके मंदिर अटलबंद दरवाजा भरतपुर जरिये मोहतमित बृजकिशोर पुत्र मधुसुदन मृतक जरिये :—
1/1. अशोक कुमार
1/2. ललित कुमार
1/3. शरद कुमार
समस्त जाति ब्रहामण निवासी मौहल्ला कुण्डा रूपराम अनाहगेट भरतपुर
2— विमल नारायण पुत्र जगन्नाथ प्रसाद निवासी अटलबंद दरवाजा, भरतपुर।
3— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर।

..... प्रत्यर्थीगण

2. अपील/डिक्री/टीए/6836/2013/भरतपुर

1— बादाम सिंह
2— मदनलाल
पुत्रान लालाराम जाति माली निवासी ग्राम श्रीनगर तह0 व जिला भरतपुर।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1— विमल नारायण गोद पुत्र जगन्नाथ प्रसाद जाति हिंदुस्तानी, निवासी अटलबंद दरवाजा, भरतपुर।
2— अशोक कुमार
3— ललित कुमार
4— शरद कुमार
पुत्रान बृजकिशन जाति ब्रहामण निवासी अनाहगेट भरतपुर
5— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर।

..... प्रत्यर्थीगण

3. अपील / डिक्री / टीए / 6841 / 2013 / भरतपुर

1– बादाम सिंह
2– मदनलाल
पुत्रान लालाराम जाति माली निवासी ग्राम श्रीनगर तह0 व जिला भरतपुर।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1– मूर्ति श्रीनाथ जी महाराज वाके मंदिर अटलबंद दरवाजा भरतपुर जरिये मोहतमित बृजकिशोर पुत्र मधुसुदन मृतक जरिये :–
1/1. अशोक कुमार
1/2. ललित कुमार
1/3. शरद कुमार
समस्त जाति ब्रहामण निवासी मौहल्ला कुण्डा रूपराम अनाहगेट भरतपुर
2– विमल नारायण पुत्र जगन्नाथ प्रसाद निवासी अटलबंद दरवाजा, भरतपुर।
3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर।

..... प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
श्री मुकेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष
श्री आर.के.जायसवाल, सदस्य

उपस्थित :
श्री जे.के.पारीक, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री प्रदीप विश्नोई, अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

दिनांक

निर्णय

1– यह तीनों द्वितीय अपीले राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर (प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26–4–05 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। चूंकि तीनों ही प्रकरणों में वाद की प्रकृति, पक्षकारान तथा विवाद का बिन्दु एक समान होने से उपरोक्त तीनों अपीलों का निस्तारण अपीलीय न्यायालय द्वारा एक ही निर्णय से किया गया है। अतः हमारे द्वारा भी हस्तगत् तीनों द्वितीय अपीलों का निस्तारण इस एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है। निर्णय की एक एक प्रति तीनों पत्रावलियों में सलग्न की जावे।

2— अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है वादी अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय उपखंड अधिकारी भरतपुर में एक वाद बाबत् इस्तकरारह एवं हुक्मइम्तनाईदवामी अंतर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नंबर 517, 518, 519 व 520 कुल किता 4 रकबा 4 बीधा 4 बिस्वा वाके कस्बा भरतपुर चक नंबर 2 वादीगण की मां मंगली को विधिवत रूपसे दिनांक 18—11—65 को आवंटन कर मौके पर कब्जा संभलाया गया तथा आवंटन के बाद से वादीगण विवादित आराजी पर काबिजकाश्त है। आवंटन की शर्ते पूर्ण होने पर आवंटी को स्वतः खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है। अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जावे। उपखंड अधिकारी भरतपुर ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक तनकीयात कायम करते हुये अपने निर्णय एंव डिक्री दिनांक 30—3—01 द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निर्णय व डिक्री दिनांक 26—4—05 द्वारा खारिज कर दी। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई हैं।

3— विद्वान अभिभाषकगण उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4— विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि विवादित आराजी अपीलार्थी के कब्जेकाश्त व खातेदारी की है जिस पर अपीलांट बहैसियत काश्तकार काबिज होकर करश्त करते चले आ रहे है । विवादित आराजी पूर्व में अपीलार्थी की मॉ मंगलिया बेवा लालराम जाति माली रेस्पोडेंट के साथ साझे में काफी अरसे से काश्त करती रही है लेकिन रेस्पोडेंट ने आराजी मुतनाजा का स्तीफाा 1964 में सरकार में पेश कर दिया। सरकार ने स्तीफा स्वीकार कर विवादित आराजी वादीगण की मां मंगली को भूमिहीन मानकर विधिवत दिनांक 18—11—65 को आवंटन हुई थी तथा वादीगण बहैसियत काश्तकार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। विवादित आराजी भूमिहीन मानकर आवंटित की गई है। रेस्पोडेंट सं.1 जगन्नाथ ने अपना इकबाली दावा अपीलांट के पक्ष में पेश कर वाद डिक्री करने की प्रार्थना की लेकिन परीक्षण न्यायालय ने उक्त इकबाली दावे को

नजरअदांज कर वाद खारिज कर दिया। रेस्पोडेंट का विवादित आराजी से कोई सबंध नहीं है। विवादित आराजी मंदिर श्रीनाथ जी की नहीं है और न ही वहां कोई मंदिर है। महज मंदिर का नाम जमाबंदी संवत् 2017 से 2020 में मंदिर श्रीनाथ जी महाराज मु.खाता 136 व काश्त जगन्नाथ प्रसाद सा.देह शिकमी दर्ज होने के आधार पर वादीगण का दावा गलत खारिज किया गया है। मौके पर कोई मंदिर वगैरह नही है तथा मूर्ति की आड में विवादित आराजी को हडपना चाहते है। जब जगन्नाथ प्रसाद ने विवादित आराजी को सेरेण्डर कर देने के बाद वादीगण को विवादित आराजी आवंटित की गई है। परीक्षण न्यायालय ने मनमाने तरीके से वाद खारिज किया है, जिसे अपीलीय न्यायालय ने भी बिना किसी आधार के समर्थन दिया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों की अनदेखी करते हुये नियमो से परे अपीलार्थी के विरूद्ध निर्णय पारित किया है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाकर यह द्वितीय अपील स्वीकार की जावे।

5— उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अभिकथन किया कि विवादित आराजी मंदिर मूर्ति की भूमि है जिस पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते और न ही वह आवंटन हेतु उपलब्ध है। उपखंड अधिकारी ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक तनकीयात कायम करते हुये वादी का वाद खारिज किया है जिसका समर्थन प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा भी किया गया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य निर्णय में विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर द्वितीय अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः प्रस्तुत द्वितीय अपील खारिज की जावे।

6— विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों पर उपलब्ध निर्णयों के साथ संलग्न रिकोर्ड आदि का गहनता से अद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया।

7— अपीलार्थी ने जरिये प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी दिनांक 26—2—2018 के तहत प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संवत् 2009, 2013, 2017, प्रमाणित नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2022 से 2025, प्रमाणित नकल फोटो स्टेट प्रति नकल रसीद दिनांक 15—9—1965, प्रमाणित प्रतिलिपि की नकल दखलनामा तथा प्रमाणित फोटो स्टेट प्रति भूमि आवंटन आदेश दिनांक 15—9—1965 पेश की जो ऑफिस कानूनगो तहसील भरतपुर एवं तहसीलदार भरतपुर द्वारा प्रमाणित फोटो स्टेट प्रति सत्यापित की गई है। अपीलार्थी द्वारा उक्त दस्तावेज मूल वाद के समय प्रस्तुत नहीं कर हस्तगत् द्वितीय अपील के अंतिम स्तर पर पेश किये गये है, जन्हें रिकोर्ड पर लिया जाकर गुणावगुण के स्तर पर अवलोकन किया जाना आवश्यक है।

8— राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 243/01 एवं 255/01 जो कि उपखंड अधिकारी भरतपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध पेश की गई है तथा अपील संख्या 70/04 उनवानी बादामसिंह बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में सहायक कलेक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 17—2—04 के विरूद्ध पेश की गई है, का संयुक्त रूप से निर्णय दिनांक 26—4—05 को किया गया है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त प्रकरणों का विधिवत रूपसे तनकी कायम कर पत्रावली उप उपलब्ध रिकोर्ड व मौखिक साक्ष्यों के आधार पर विस्तृत विवेचन कर समवर्ती निष्कर्ष प्रदर्शित किये गये है। अपीलार्थी की मुख्य दलील यह है कि खसरा नंबर 517, 518, 519, व 520 कुल किता 4 रकबा 4 बीधा 4 बिस्वा अपीलांट की माता मु. मंगलिया बेवा लालाराम को भूमिहीन मानकर तहसीलदार द्वारा दिनांक 18—11—65 को आवंटित की गई थी तथा मु. मंगलिया की मृत्यु के उपरांत अपीलांटगण का उक्त आराजीयात पर निरंतर कब्जाकाश्त चला आ रहा है। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद रूपसे जाहिर है कि जमाबंदी संवत् 2017 से 2020 में ''मंदिर श्रीनाथ जी महाराज व काश्त जगन्नाथ प्रसाद साकिन देह शिकमी दर्ज'' है। संवत् 2021 से 2024 की जमाबंदी मंदिर भूमि के नाम दर्ज है। अपीलांट का कथन है कि उक्त भूमि मंदिर के नाम दर्ज अवश्य थी परंतु जागीर रिज्म्पशन एक्ट 1959 के प्रभावी होने के बाद मंदिर की उक्त भूमि आराजी राज दर्ज कर दी गई थी तथा आराजीराज दर्ज होने के आधार पर उनका आवंटन दिनांक 18—11—65 को अपीलांटगण की माता को कर दिया गया था जिस पर वे निरंतर रूपसे

कब्जेकाश्त में है परंतु राजस्व रिकोर्ड में इंद्राजात रेस्पोडेंट जगन्नाथ के नाम दर्ज रहा जिसकी वजह से उनके द्वारा घोषणात्मक वाद प्रस्तुत किये गये। लेकिन न्यायालय उपखंड अधिकारी व राजस्व अपील प्राधिकारी के द्वारा उनके दावे/अपील खारिज कर दिये गये। अपीलांट की यह भी दलील है कि रेस्पोडेंट जगन्नाथ जो कि 2017 से 2020 की जमाबंदी में शिकमी काश्तकार के रूप में दर्ज था, के द्वारा 1964 में इस भूमि से इस्तीफा दे दिया था तथा अपीलांट के द्वारा उपखंड अधिकारी न्यायालय में दायर वाद में उसके द्वारा यह इकबालिया दावा पेश कर दिया गया था कि यदि उक्त आराजीयात की खातेदारी अपीलांट/वादी के नाम दर्ज की जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। परंतु उसके इकबाल दावे पर गौर नहीं कर दावा खारिज किया गया।

9— अपीलांट बादामसिंह के द्वारा दिनांक 29—11—80 को बुजकिशन शर्मा द्वारा आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बाबत् पेश जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 29—11—80 में यह अंकित किया है कि जिलाधीश भरतपुर के आदेश दिनांक 7 जुलाई 1964 से उक्त आराजियात राजस्थान सरकार के पक्ष में समर्पित करा लिये थे अतः वे मकबूजा राज थे। चुंकि उक्त आराजियात 1965 में मकबूजा राज थे अतः तहसीलदार द्वारा उनके गांव में कैंप लगाकर दिनांक 15—11—65 को वादीगण की माता मु0 मंगलिया के नाम आवंटित किये गये। इस संदर्भ में यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि अपीलांट/वादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है कि जिससे उनके इस कथन की पुष्टि होती हो कि 7 जुलाई 1964 को उक्त आराजियात को राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित करा दिया गया हो या जागीर रिजम्पशन एक्ट के प्रभाव में आने के उपरांत उक्त आराजियात सिवायचक दर्ज कर दी गई हो। संवत् 2017—20 व संवत् 2021 से 2024की जमाबंदी में यह भूमि मंदिर श्री रधुनाथ जी महाराज के नाम दर्ज है। अर्थात 1959 में जागीर एक्ट के प्रभाव में आने पर उक्त आराजियात रिज्यूम नहीं हुई तथा मंदिर के नाम प्रविष्टियां यथावत दर्ज रही। इसी प्रकार खसरा गिरदावरी संवत् 2022—2025 के अवलोकन से जाहिर है कि इसके कॉलम सं.5 में मंदिर श्री रधुनाथ जी का नाम खातेदार के रूप में दर्ज है। संवत् 2022 की खसरा गिरदावरी में काश्त के कॉलम में जरिये नोट मं0 मंगलिया के नाम आवंटन का उल्लेख है। परंतु यदि कोई आवंटन किया गया होता तो इसका इंद्राज जमाबंदी में जरिये नामांतरकरण की प्रक्रिया के किया

जाता। खसरा गिरदावरी में आवंटन आदेश का अंकन किसी प्रकार का वैधानिक महत्व नही रखता है। वस्तुतः उक्त आराजियात बरवक्त आवंटन मंदिर के नाम दर्ज थी तथा कभी भी आराजी राज के रूप में दर्ज नही हुई थी तथा मंदिर की भूमि पर किसी भी प्रकार का आवंटन किया जाना कानूनी अर्थ नहीं रखता है। संवत् 2017 से 2020 की जमाबंदी में मंदिर मूर्ति के नाम दर्ज है तथा काश्त जगन्नाथ की दर्ज है। मंदिर की भूमि पर यदि कोई काश्त करता है तो वह शाश्वत नाबालिग होने से मंदिर की ही काश्त समझी जावेगी। अतः रेस्पोडेंट जगन्नाथ द्वारा प्रस्तुत इकबालदावे का कोई महत्व नहीं है तथा उसके द्वारा 1964 में उक्त आराजियात को त्यागपत्र देने बाबत् कथन किया है। उसे इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। विवादित आराजियात 1955 को मंदिर की गैर मौरूसी में दर्ज है और मूर्ति की आराजी पर कोई काश्त करता है तो उसे किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते है।

10— बहस के दौरान अपीलांट के अभिभाषक का कथन है कि उनकी माता के नाम किये गये आवंटन आदेश को खारिज कराने बाबत् मंदिर मूर्ति व अन्य द्वारा जो प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व आवंटन नियम 1970 पेश किये है, वे खारिज किये जा चुके है तथा उनके विरूद्ध प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र भी खारिज हो चुका है व राजस्व मंडल की एकपीठ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 15—7—95 द्वारा इसके विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी भी खारिज की जा चुकी है। अतः अपीलांट का आवंटन अंतिम हो चुका है। परंतु अभिभाषक द्वारा उक्त निर्णयों की. त्रुटिपूर्ण व्याख्या की गई है। वस्तुतः मंदिर मूर्ति द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र द्वारा इस तकनीकी आधार पर खारिज किये गये है कि जब तथाकथित आवंटन आदेश को न्यायालय उपखंड अधिकारी व राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अस्तित्वहीन व प्रभावहीन माना जा चुका है तथा विवादित आराजियात मंदिर मूर्ति के नाम बदस्तुर रूपसे खातेदारी में दर्ज है तो निगरानी के माध्यम से उक्त तथाकथित अस्त्विहीन एंव प्रभावहीन आवंटन आदेश को खारिज करने की आवश्यकता नहीं है। राजस्व मंडल की एकलपीठ द्वारा जिला कलेक्टर भतरपुर की पत्रावली संख्या 27/91 में पारित निर्णय दिनांक 18—2—93 के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी से निगरानी/एलआर/11/93 में पारित निर्णय दिनांक 15—7—95 के पैरा संख्या—6 व 7 में निम्न निष्कर्ष अंकित करते हुये मंदिर द्वारा प्रस्तुत

निगरानी खारिज की है, जो कि प्रकरण में उल्लेख करना समीचीन होगाः—

> ''आज मेरे को पूछने पर भी कोई भी पक्ष इस तथाकथित आवंटन आदेश दिनांक 18–11–65 की कोई भी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं करवा रहा है, ऐसी स्थिति में जिस प्रकार के प्रकरण के तथ्य बताये जा रहे है उनकों देखते हुये प्रथम तो आज इस बात का ही विश्वास करना संभव प्रतीत नहीं होता कि इस प्रकार का कोई आवंटन आदेश पारित भी हुआ है। इसके अलावा विद्वान अभिभाषक श्री जैन द्वारा विद्वान अतिरिक्त जिला कलेक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 29–4–93 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है। इस निर्णय को पढने से यह प्रतीत होता है कि विद्वान अतिरिक्त कलेक्टर ने यह पाया है कि वर्तमान रेकार्ड के अनुसार मूर्ति मंदिर का नाम विधिवत् दर्ज है और तथाकथित आवंटन का कोई असर व इंद्राज राजस्व रिकोर्ड में इसके बाद बदस्तूर नहीं किया गया है इसलिये उन्होंने यह तय किया है कि यदि कोई आवंटन हुआ भी है तो उसका कोई असर रेकार्ड पर प्रतीत नहीं होता है तथा इन परिस्थितियों में उन्होंने यह तय किया है कि जब कोई आवंटन आदश प्रभावी ही नहीं है तो अपीलांट को कोई भी अनुतोष नहीं दिया जा सकता। इस तरह से विद्वान अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने अपने निर्णय दिनांक 29–4–93 द्वारा इस तथाकथित आवंटन आदेश दिनांक 18–11–65 को अस्तित्वहीन एवं अप्रभावी माना है तथा स्वीकृत रूपसे अतिरिक्त कलेक्टर के इस निर्णय दिनांक 29–4–93 के विरूद्ध कहीं पर भी कोई भी अपील होकर इस निर्णय को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है, उस हालत में यह निर्णय कायम रहता है और जब स्थिति यह बनती है तो उस हालात में आज प्रकरण के कुल हालात को देखते हुये निगरानी की शक्तियों का प्रयोग करके कोई भी आदेश पारित करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि आवंटन आदेश पूर्व में ही दिनांक 29–4–93 को अप्रभावी माना जा चुका है।''

मंडल के निर्णय पैरा (7) अनुसार ''यह सही है कि जो राजस्व रेकार्ड प्रस्तुत किया गया है उसको देखते हुये एवं नकल जमाबंदी संवत् 2021–24 को देखते हुये यह स्पष्ट है कि आवंटन की तिथि को भूमि विवादास्पद पर मूर्ति मंदिर के अधिकार थे। इन परिस्थितियों में निश्चय ही विवादग्रस्त भूमि श्री जगन्नाथ एवं श्रीमति मंगली को आवंटन नहीं की जा सकती थी, परंतु अब जब विद्वान अतिरिक्त कलेक्टर के निर्णय दिनांक 29–4–93 द्वारा यह आवंटन अप्रभावी माना जा चुका है और इस निर्णय के विरूद्ध की गई अपील संख्या 2/94 भी दिनांक 27–10–94 को विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा खारिज की जा चुकी है और स्वीकृत रूपसे आज भी यह निर्णय कायम है, इन परिस्थितियों में अब निगरानी की शक्तियों का प्रयोग करके कोई भी आदेश पारित करना आवश्यक नहीं रहता। अतः प्रार्थना पत्र निगरानी इन परिस्थितियों में स्वीकार करके अन्य कोई भी आदेश देना उचित नहीं लगता। अतः प्रार्थना पत्र निगरानी खारिज किया जाता है, परंतु यहां पुनः खुलासा किया जाता है कि आवंटन आदेश दिनांक 18–11–65 अप्रभावी माना जा चुका है।'' मंडल द्वारा मूर्ति मंदिर की उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज करने का अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता कि निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज होने से आवंटी को कोई अनुतोष प्राप्त हो गया।

11– अपीलांट अभिभाषक के द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी व धारा 151 सीपीसी के तहत उक्त तथाकथित आवंटन आदेश दिनांक 18–11–65 की प्रति व जमाबंदी व अन्य देस्तावेज पेश किये है। उक्त समस्त दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन, विचार एवं मनन किया गया। नकल जमाबंदी संवत् 2021–2024 को देखते हुये यह स्पष्ट है कि आवंटन की तिथि को उक्त भूमि मूर्ति मंदिर के नाम दर्ज थी। अतः तथाकथित आवंटन आदेश मु0 मंगली के पक्ष में जारी ही नहीं किया जा सकता था। अतिरिक्त कलेक्टर न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27–10–94 के द्वारा उक्त आवंटन को अस्तिवहीन एवं प्रभावहीन माना जा चुका है तथा इसके विरूद्ध अपील राजस्व अपील प्राधिकारी,

निगरानी राजस्व मंडल द्वारा खारिज की जा चुकी है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि मंदिर मूर्ति एक शाश्वत नाबालिग है तथा उसके स्वत्व व खातेदारी अधिकारों की भूमि पर किसी अन्य को आवंटित/हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार हमारी यह सुविचारित राय है कि तथाकथित अस्तित्वहीन व प्रभावहीन आवंटन आदेश के द्वारा मंदिर मूर्ति की भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित ही नहीं किया जा सकता है। वस्तुतः उक्त आवंटन आदेश एक Void ab initio दस्तावेज है जिसके आधार पर मंदिर की मूर्ति की भूमि पर अपीलांट के पक्ष में अधिकारों का अंतरण नहीं हो सकता है।

12— अपीलांट ने अपील मेमो में यह कथन किया है कि विवादित आराजियात जागीर रिजम्पशन एक्ट 1952 के प्रभाव में आने उपरांत रस्पोडेंट संख्या—1 जगन्नाथ के कब्जेकाश्त में होने के कारण धारा 9 के तहत उसे खातेदारी अधिकार अर्जित हो गये थे तथा 1964 में उसके द्वारा अपने अधिकार राज्य सरकार को समर्पित कर दिये थे तथा विवादित भूमि आराजी राज दर्ज हो चुकी थी तथा आराजी राज दर्ज होने के उपरांत ही अपीलांट की माता मु0 मंगलिया को आवंटन किया गया था। परंतु जमाबंदी संवत् 2017—20 व 2021—24 के आवलोकन से जाहिर है कि उक्त आराजियात मंदिर के नाम बदस्तुर दर्ज रही है तथा मंदिर की जमीन कभी भी रिज्यूम होकर आराजी राज दर्ज नहीं हुई है तथा इसका आवंटन राजस्व अधिकारियों द्वारा अपीलांट की माता के नाम नहीं किया जा सकता था। पत्रावली में संलग्न प्रतिलिपि जमाबंदी संवत् 2009, 2013, 2017 में भी उक्त आराजियात मंदिर मूर्ति के नाम दर्ज रहीं है।

13— अपीलांट अभिभाषक की यह भी दलील है कि भू प्रबंध अधिकारी भरतपुर के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 3—8—94 से प्रश्नगत आराजियात की खातेदारी अपीलांट के पक्ष में दर्ज की गई थी। परंतु पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि भू प्रबंध आयुक्त के निर्णय दिनांक 22—8—97 के द्वारा अपीलांट बादामसिंह के हक में जमाबंदी में दर्ज इंद्राजात को खारिज किया जा चुका है। राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या— 70/04 उनवानी बादामसिंह बनाम सरकार व अन्य में सहायक कलेक्टर भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17—2—04 में यह निष्कर्ष व्यक्त किया है कि भू प्रबंध विभाग को बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के खातेदार के रूप में दर्ज करने

का अधिकार नहीं है तथा मंदिर मूर्ति एक शाश्वत नाबालिग है। अतः इस पर कोई व्यक्ति काश्त भी करता है तो मूर्ति के विरूद्ध कोई अधिकार हासिल नहीं होते है। अतः उक्त आधार पर राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा वादीगण के वाद खारिज करने बाबत् जो निर्णय पारित किया है वह पूर्ण रूपसे विधिसम्मत् है।

14— न्यायालय उपखंड अधिकारी द्वारा प्रश्नगत दावों का तथ्यों एवं साक्ष्यों के समुचित विश्लेषण उपरांत तनकीवार निर्णय पारित करते हुये वादीगण का दावा खारिज किया है तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी परीक्षण न्यायालय के निष्कर्षों को पुष्ट किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि परीलक्षित नहीं है।

15— उपरोक्त विवेचना के आधार पर हमारा निष्कर्ष है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य निर्णयों में ऐसी कोई विधिक अथवा तात्विक त्रुटि जाहिर नहीं है जिसके आधार पर द्वितीय अपील के माध्यम से उक्त निर्णयों में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः हस्तगत तीनों अपीले खारिज किये जाने योग्य है।

16— परिणामतः हस्तगत तीनों अपीले एतद्द्वारा खारिज की जाती है। निर्णय की एक एक प्रति पृथक से तीनों पत्रावली में संलग्न की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर.के.जायसवाल)
सदस्य

(मुकेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष